राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

दिनांकः– 7/6/22

क्रमांकः– एफ.2 (क) (आर–704) अलेसे– I/429

श्री राजूराम कंवरिया,
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I,
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियंता,
खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जोधपुर।

कारण बताओ नोटिस

विषयः– नव पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं करने के संबंध में।
संदर्भः– इस विभाग का आदेश संख्या 443/2021–22 दिनांक 17.08.2021 एवं परिपत्र दिनांक 17.05.2022

उपर्युक्त संदर्भित आदेश के द्वारा आपका स्थानान्तरण कार्यालय अधीक्षण खनि अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जोधपुर से कार्यालय संयुक्त निदेशक, उद्यान विभाग, जोधपुर में किया जाकर निर्देशित किया गया था कि आप तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना अवलिम्ब फैक्स एवं विभागीय ई–मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in पर इस निदेशालय को भिजवावे। परन्तु स्थानान्तरण होने के लगभग 10 महीने पश्चात् भी आप द्वारा नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया गया है तथा समय–समय पर निदेशालय द्वारा जारी परिपत्रों को भी नजरअंदाज कर पूर्व पदस्थापित कार्यालय में ही कार्य करते रहे है, जो कि गम्भीर लापरवाही एवं राजकीय आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है।

अतः उक्त के संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस में प्रस्तुत करे कि क्यों नही आपको राजकीय आदेशों की अवहेलना करने के लिए आपके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावे।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)

दिनांकः– 7/6/22

क्रमांकः– एफ.2 (क) (आर–704) अलेसे– I/430-433

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अधीक्षण खनि अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जोधपुर।
2. संयुक्त निदेशक, उद्यान विभाग, जोधपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– I)